न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर–पड़रौना

सत्र परीक्षण सं०– 21/2015

सरकार बनाम शम्भू पटेल आदि

आरोप

मैं ए०के० उपाध्याय सत्र न्यायाधीश कुशीनगर आप शम्भू पटेल,सुनील पटेल,सोनू उर्फ अनिल व उमेश को निम्नलिखत आरोप से आरोपित करता हूं।

1– यहकि दिनांक 02–05–2013 को समय 5–30 बजे सुबह वहद ग्राम गौरी श्रीराम, थाना बिशुनपुरा, जिला कुशीनगर में आपलोग एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में सार्बजिनक कुंए पर मिट्टी भरने के विवाद को लेकर वादी मुकदमा उसके चाचा प्रभू पटेल तथा उसके पिता रामअशीष को लाठी डंडा, स्टैम्प से स्वेच्छ्यापूर्वक मारकर साधारण उपहति कारित किया। इसतरह से अपने धारा–323/34 भा०दं०वि० के अंर्तगत दण्डनीय अपराध किया जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यहकि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपलोग एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में सार्बजनिक कुएं पर मिट्टी भरने के बिवाद को लेकर वादी मुकदमा तथा उसके पिता रामअशीष व चाचा प्रभू पटेल को गाली गुप्ता देकर साशय प्रकोपित किया। इसतरह से आपने धारा– 504 भा०दं०वि० के अंर्तगत दण्डनीय अपराध किया जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यहकि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपलोग एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में सार्बजनिक कुएं पर मिट्टी भरने के बिवाद को लेकर वादी मुकदमा तथा उसके पिता रामअशीष व चाचा प्रभू पटेल को जान से मारने की घुड़की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास दिया। इसतरह से आपने धारा–506 भा०दं०वि० के अंर्तगत दण्डनीय अपराध किया जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यहकि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपलोग एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में सार्बजनिक कुएं पर मिट्टी भरने के बिवाद को लेकर वादी मुकदमा के चाचा प्रभू पटेल की हत्या करने की नियत से उसे लाठी डंडा व क्रिकेट स्टैम्प से स्वेच्छ्यापूर्वक मारकर ऐसी गंभीर उपहति कारित किया कि दौरान इलाज उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। इसतरह से आपने धारा– 302/34 भा०दं०वि० के अंर्तगत दण्डनीय अपराध किया जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5. यहकि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपलोग एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में सार्बजनिक कुएं पर मिट्टी भरने के बिवाद को लेकर वादी मुकदमा तथा उसके पिता रामअशीष व चाचा प्रभू पटेल को गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडा व क्रिकेट स्टैम्प से स्वेच्छ्यापूर्वक गंभीर उपहति कारित कर लोगों में ऐसा भय तथा दहशत पैदा कर दिया कि गांव के लोग अपना–अपना दरवाजा बन्द कर लिए और अपने घरो में

दुबक गये। इसतरह से आपने धारा– 7 क्रिमीनल ला एमेन्डमेन्ड एक्ट के अंर्तगत दण्डनीय अपराध किया जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

और एतद' द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप का विचारण उक्त आरोप हेतु न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक– 19–03–2015

(ए०के० उपाध्याय)
सत्र न्यायाधीश कुशीनगर।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना किया है।

दिनांक– 19–03–2015

(ए०के० उपाध्याय)
सत्र न्यायाधीश कुशीनगर।